प्रेस प्रकाशनी

जुलाई 2009

वेम्बू इनवेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया

3 जुलाई 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए वेम्बू इनवेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालयः नया नंबर 9, (पुराना नं.5ए), पोरूर स्ट्रीट, पूर्व ताम्बरम, चेन्नै-600059 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 18 मई 2009 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।

रिज़र्व बैंक ने प्रांतीज नागरिक सहकारी बैंक लि., प्रांतीज (गुजरात) का लाइसेंस रद्द किया

07 जुलाई 2009

प्रांतीज नागरिक सहकारी बैंक लि., प्रांतीज के अर्थक्षम नहीं रह जाने, बैंक का कारोबार जमाकर्ताओं के हित को ध्यान में न रखते हुए चलाए जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होनेवाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश 30 जून 2009 को कारोबार की समाप्ति के बाद जारी किया। सहकारी समितियों के निबंधक, गुजरात राज्य से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से सामान्य शर्तों के अधीन 1,00,000 (एक लाख रुपये मात्र) रुपये की मौद्रिक

सीमा तक अपनी जमारशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री सी.एन. मोदी, सहायक महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, से संपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार है :

डाक पताः शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय, ला गज्जार चैंबर, आश्रम रोड, पो.बा.सं.1, अहमदाबाद 380 009.टेलीफोन नंबर : (079) 26589338 फैक्स नंबर : (079) 26584853; ईमेल।

मेसर्स हिमा फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया

07 जुलाई 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स हिमा फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 6-3-788/ए/16, दुर्गानगर कॉलनी, अमिर पेठ, हैदराबाद - 500016 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 18 मई 2009 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।

रिज़र्व बैंक ने दि कटकोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कटकोल, कर्नाटक का लाइसेंस रद्द किया

10 जुलाई 2009

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दि कटकोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कटकोल, कर्नाटक के अर्थक्षम नहीं रह जाने और कर्नाटक सरकार के साथ परामर्श से उसे पुनर्जीवित करने के सभी प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होने वाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 03 जुलाई 2009 को कारोबार की समाप्ति के बाद उक्त बैंक का लाइसेंस रद्द करने के आदेश जारी किए। निबंधक, सहकारी समितियां, कर्नाटक से भी बैंक के समापन और उसके लिए परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से 1,00,000 रुपये (एक लाख रुपये मात्र) की उच्चतम सीमा तक अपनी जमारशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

इस संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्रीमती अनिता भट्टाचार्य, उप महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, शहरी बैंक विभाग, बेंगलूर से संपर्क कर सकते हैं। श्रीमती भट्टाचार्य का विवरण नीचे दिया गया है :

डाक पताः 10/3/8, नृपतुंग मार्ग, बंगलूर-560001, टेलीफोन सं. (080) 22291696, फैक्स सं. (080) 22293668/22210185, ई-मेल

कुझीयाथु हायर पर्चेस एण्ड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

20 जुलाई 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए कुझीयाथु हायर पर्चेस एण्ड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 553/IV, चोरियानाद, मामप्रा पोस्ट. ऑ. चेनगान्नूर, केरल है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक

17 जून 2009 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

20 जुलाई 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए निम्नलिखित कंपनियों, जिनका पता उनके नाम के सामने दर्शाया गया है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियाँ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

क्र. सं	कंपनी का नाम	पंजीकृत कार्यालय का पता	पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख
1.	वी.आर. फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड	एस-12, डबल स्टोरी, न्यू राजेंद्र नगर, नई दिल्ली-110060	25 जून 2009
2.	गेबरिट इलैक्ट्रॉनिक लिमिटेड (पुराना नाम : संध्या सिक्यूरिटीज लिमिटेड)	603-612, मोतीराम रोड, राम नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032	21 मई 2009
3.	स्टीयरींग सिक्यूरिटीज एण्ड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड	1/18 बी, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002	01 जुलाई 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा श्री परोला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.,परोला, जिला जलगाँव, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया जाना

22 जुलाई 2009

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि श्री परोला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.,परोला, जिला जलगाँव, महाराष्ट्र अर्थक्षम नहीं रह गया है और महाराष्ट्र सरकार के साथ परामर्श से उसे पुनर्जीवित करने के सभी प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होने वाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10 जुलाई, 2009 को कारोबार की समाप्ति के बाद उक्त बैंक का लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया। सहकारी समितियों के निबंधक, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक के परिसमापन और उसके लिए परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के परिसमापन पर हर जमाकर्ता सामान्य शर्तों के अंतर्गत निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये मात्र) की उच्चतम सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

इस संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री पी.के. अरोड़ा, उप महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, शहरी बैंक विभाग, मुंबई से संपर्क कर सकते हैं। श्री अरोड़ा का संपर्क ब्योरा नीचे दिया गया है:

डाक पता: शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, दूसरी मंज़िल, गारमेंट हाउस, वरली, मुंबई - 400018; टेलीफोन (022) 24939930-49, सीधी लाइन (022) 24935348; फैक्स (022) 24935495।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यशवंत सहकारी बैंक लि., मिरज, जिला सांगली, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द

29 जुलाई 2009

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यशवंत सहकारी बैंक लि., मिरज, जिला सांगली, महाराष्ट्र अर्थक्षम नहीं रह गया है और महाराष्ट्र सरकार के साथ परामर्श से इसे पुनर्जीवित करने के सभी प्रयास असफल हो जाने

तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होने वाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 जुलाई 2009 को कारोबार की समाप्ति के बाद बैंक का लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया। निबंधक, सहकारी समितियां, महाराष्ट्र से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। यह उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से रुपये 1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) की उच्चतम मौद्रिक सीमा तक अपनी जमारशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

इस संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री पी.के. अरोड़ा, उप महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, शहरी बैंक विभाग, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई से संपर्क कर सकते हैं। उनसे संपर्क का विवरण नीचे दिया गया हैः

डाक पताः शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, दूसरी मंजिल, गारमेट हाउस, वरली, मुंबई - 400018 टेलीफोन सं. :(022) 24939930-49, सीधी लाइनः(022) 24935348 फैक्स सं.:(022) 24935495।

फर्जी पेशकश/लॉटरी जीतने/सस्ते धन की पेशकश से सावधान रहें: भारतीय रिज़र्व बैंक

30 जुलाई 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज एक बार पुनः स्पष्ट किया है कि विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत लॉटरी योजनाओं में भाग लेने के लिए किसी भी स्वरूप में पैसे भेजने पर प्रतिबंध है। इसके अतिरिक्त, ये प्रतिबंध विभिन्न नामों से जारी योजनाओं के अंतर्गत कार्य करने वाली लॉटरी जैसी योजनाओं जैसेकि कि पैसों की आवाजाही योजना अथवा पुरस्कार राशि/तोहफा आदि में सहभागिता के लिए भेजी जाने वाली राशि पर भी लागू है। रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि वह संवितरण के लिए राशि रखने हेतु भारत में व्यक्तियों/कंपनियों/न्यासों के नाम में न किसी खाते का रखरखाव करता है और न ही रिज़र्व बैंक के पास रु पया जमा करने के लिए किसी व्यक्ति को कोई खाता खोलने की अनुमति प्रदान करता है। रिज़र्व बैंक इन खातों में पैसा जमा कराने संबंधी कोई प्रमाणपत्र अथवा सूचना अथवा संपुष्टि अथवा साक्ष्य रसीद भी जारी नहीं करता है।

रिज़र्व बैंक ने आम जनता को सूचित किया है कि वे फर्जी पेशकशों/अभ्यावेदनों के जवाब में ऐसे खातों में राशि न भेजें अथवा जमा न करें। जनता से अनुरोध है कि वे ऐसी पेशकश के ब्यौरे स्थानीय पुलिस प्राधिकरियों को तत्काल सूचित करें ताकि अपराधियों को दण्डित किया जा सके।

कई निवासियों के ऐसी लालच भरी पेशकश के शिकार होने और पैसे खो देने पर रिज़र्व बैंक ने यह चेतावनी दी है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इससे पहले कई बार आम जनता को सावधान किया है कि वे संस्थाओं/व्यक्तियों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने वाले भारतीय निवासियों सहित ऐसी कतिपय विदेशी संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा फर्जी पेशकश/लॉटरी जीतने/विदेश से विदेशी मुद्रा में सस्ते धन भेजे जाने का शिकार न बनें। ऐसी पेशकश सामान्यतः पत्रों, ई-मेल, मोबाइल फोन, एसएमएस अदि के माध्यम से किए जाते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि इससे पहले अपनाए गए विशेष तौर-तरीकों के अलावा इन जालसाज़ों ने अब रिज़र्व बैंक के पत्र शीर्ष जैसे और उनके कार्यपालकों/वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किए हों ऐसे दिखने

वाले प्रमाणपत्रों, पत्रों, परिपत्रों आदि को जारी करने का प्रयत्न किया है ताकि ऐसे प्रस्ताव असली दिखाई दें। इन योजनाओं में शिकार हुए व्यक्तियों को ये जालसाज़ टेलिफोन नंबर/अथवा फर्जी ई-मेल आइडी के साथ स्वयं को रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारी होने का विश्वास भी दिलाते हैं। कई जालसाज़ों ने भारत के बैंकों में खाते भी खोल रखे हैं तथा विभिन्न प्रभारों, करों, शुल्कों अदि के लिए इन खातों में राशि जमा करने के लिए आम जनता को सूचित किया है। एक बार उनके खातों में राशि जमा हो जाने के बाद ऐसे प्रस्ताव भेजने वाले व्यक्ति राशि निकाल लेते हैं और गायब हो जाते हैं। इस प्रकार शिकार हुए व्यक्ति पहले भुगतान किए हुए धन को खो देते हैं।

रिज़र्व बैंक ने आम जनता से यह आग्रह भी किया है कि वे अधिक जानकारी के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर निरंतर दिखाई देने वाली सूचना (टिकर) देखें।

जाली नोटों पर रिज़र्व बैंक का स्पष्टीकरण

31 जुलाई 2009

कुछ समाचारपत्र भ्रमवश भारत में परिचालनरत जाली करेंसी नोटों के आकलन के लिए नायक समिति की रिपोर्ट उद्धृत करते रहे हैं।

रिज़र्व बैंक स्पष्ट करता है किः

परिचालनरत जाली नोटों के लिए किसी एजेंसी द्वारा कोई आकलन नहीं किया गया है। नायक समिति ने जिसका गठन वर्ष 1988 में मुद्रा प्रबंध की गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए किया गया था, अपनी रिपोर्ट में वर्ष 2000 के लिए परिचालनरत नोटों (असली नोटों) का मूल्य 1,69,000 करोड़ रुपए आकलित किया था। नायक समिति ने जाली नोटों का कोई अध्ययन नहीं किया और ऐसे नोटों के संबंध में कोई आँकड़े नहीं दिए थे।

वर्ष	पता लगाए गए जाली भारतीय करेंसी नोट (संख्या में)	परिचालन में नोट (मिलियन संख्या में)	परिचालन में नोटों के % के रूप में जाली भारतीय करेंसी नोट	परिचालनरत प्रति मिलियन नोटों में पता लगाए गए जाली नोटों की संख्या
2000-01	102687	35,704	0.000288	3
2001-02	124515	38,338	0.000326	3
2002-03	211754	37,309	0.000568	6
2003-04	205226	38,336	0.000535	5
2004-05	181928	36,984	0.000492	5
2005-06	123917	37,851	0.000327	3
2006-07	104743	39,831	0.000263	3
2007-08	195811	44,225	0.000443	4

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2007-08 में रिज़र्व बैंक सहित बैंकिंग प्रणाली द्वारा पता लगाए गए जाली नोटों की संख्या परिचालनरत एक मिलियन नोटों में चार थी। वर्ष 2007-08 में रिज़र्व बैंक सहित बैंकिंग प्रणाली द्वारा पता लगाए गए जाली नोटों की संख्या परिचालनरत 44,225 मिलियन (चवालीस हजार दो सौ पचीस मिलियन) नोटों के बदले 1,95,811(एक लाख पचानबे हजार आठ सौ ग्यारह) थी। पिछले आठ वर्षों से प्रत्येक वर्ष जारी किए जाने वाली अपनी वार्षिक रिपोर्ट में रिज़र्व बैंक उल्लेख करता है कि भारत में परिचालनरत कुल नोटों में पता लगाए गए जाली नोटों की संख्या वर्ष 2000-2001 से प्रति मिलियन नोटों में तीन और छह के बीच रही है।

कंपिल्य इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

31 जुलाई 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए कंपिल्य इनवेस्टमेंट प्राइवेट

लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय नं.4, किंग स्ट्रीट, रिचमण्ड टाउन, बंगलूर-560025 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 1 जुलाई 2009 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।